कुलसचिव, वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को सम्बोधित संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–सम्0 2669 / सत्तर–6–2011–2(188) / 2008, दिनांक–09.05.2012 की टंकित प्रति–

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–पू०वि०वि० / सम्बद्धता / 07–68(एक) / 2011 / 6226, दिनांक–24.08.2011 एवं पत्रांक पू०वि०वि० / सम्बद्धता / 07–68(एक) / 2011 / 9828, दिनांक–19.11.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा–37(2) के अधीन जय बजरंग महिला महाविद्यालय, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2012 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:

1. संस्था शासनादेश संख्या–2351 / सत्तर–2–2003–16(92) / 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं इस विषय में समय–समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. महाविद्यालय / संस्थान द्वारा बी0एड0 पाठ्यक्रम में शासन द्वारा अनुमन्य समस्त सीटों को सुसंगत एवं अद्यतन शासनादेश के अनुसार किसी शैक्षिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार शैक्षिक दिवसों में पठन–पाठन कराया जायेगा।
3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. यदि प्रश्नगत मामले में एन0ओ0सी0 का प्रमाणपत्र अधिकृत एजेन्सी से प्राप्त है अथवा सक्षम स्तर का प्रमाणपत्र नहीं है, उसे यथास्थिति लोक निर्माण विभाग अथवा ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के सक्षम अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) का प्रमाणपत्र और अग्निशमन का प्रमाणपत्र अद्यतन नहीं है अथवा प्रमाणपत्र नहीं है, तो उनमें अग्निशमन का नवीनतम (वर्ष 2012 तक का) प्रमाणपत्र महाविद्यालय से विश्वविद्यालय द्वारा दिनांक 20.05.2012 तक प्राप्त कर लिया जायेगा, अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।

ह0 / –
(अशोक कुमार)
संयुक्त सचिव

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

दिनांक ....

आदेश

संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–सम्0 2669 / सत्तर–6–2011–2(188) / 2008, दिनांक–09.05.2012 के प्रस्तर–1 से 5 में दिये गये निदेश के अनुपालन में जय बजरंग महिला महाविद्यालय, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर में एन0ओ0सी0 तथा अग्निशमन का प्रमाणपत्र होने की पुष्टि के फलस्वरूप महाविद्यालय को उपरोक्त सन्दर्भित पाठ्यक्रम में दिनांक–01.07.2012 (शैक्षणिक सत्र 2012–13) से सम्बद्धता (स्थायी) प्रदान किया जाता है।

ह0 / –
प्रो0 (सुन्दर लाल)
कुलपति
दिनांक– 10.09.2013

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

पत्रांक: पू0वि0वि0 / सम्बद्धता / 07–70(एक) / 2013 / 2403 दिनांक 27-9-2013

प्रतिलिपि :–

1. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या–सम्0 2669 / सत्तर–6–2011–2(188) / 2008, दिनांक–09.05.2012 के प्रस्तर–1 से 5 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रबन्धक / प्राचार्य, जय बजरंग महिला महाविद्यालय, मुंगरा बादशाहपुर, जौनपुर को इस आशय के साथ प्रेषित कि उपरोक्त पाठ्यक्रम में निर्धारित सीटों से अधिक प्रवेश नहीं लिया जायेगा।
3. उप कुलसचिव / सहायक कुलसचिव, परीक्षा / गोपनीय / अभिलेखागार / स्टोर।

कुलसचिव